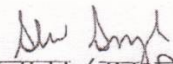


40. बेसमेंट व किसी प्रकार के खनन आदि का कार्य किया जाता है तो विकासकर्ता को खनन कार्य किये जाने से पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना होगी एवं नियमानुसार समस्त शुल्क आदि जमा करना होगा। खनन का कार्य किसी दक्ष तकनीकी व्यक्ति के देखरेख में कराना होगा एवं शासन की खनन नियमावली का पालन सुनिश्चित करना होगा।
41. किन्ही भी शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
42. प्रोप्रेलेरिटी हाम्स प्रा० लि० द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को लिखित में सूचना देनी होगी।


सहायक प्रबन्धक (परि०)

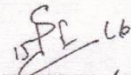

प्रबन्धक (परि०)


टाउन प्लानर/सहोनियोजक

पत्र सं० / लीडा / ए०सी०ई०ओ.....दिनांक

प्रतिलिपि—

1. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लीडा लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अवशेष आंशिक विवेकात्मक शुल्क की गणना एवं देयता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संबंधित सह०प्रबन्धक परि० (जोन-लखनऊ) को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानायेत्र एवं शर्तोंके अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित, कराये अन्यथा की स्थिति मे सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।


वरि० प्रबन्धक (परि०)